17/09/20

22 April 2019
Wk 17 • 112-253
Monday

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

APR '19

(8) मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा
Protection of rights of mentally ill persons-

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है क्योंकि व्यक्ति किसी कारण से मानसिक मन्दता से ग्रसित हो जाता है तो उसको अपने उपचार का अधिकार होता है। हो सकता है कि वह इस उपचार से ठीक हो जाय तथा सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार की सभी सम्भावनाओं को सत्य सिद्ध करने के लिए इन चिकित्सालयों की स्थापना की गयी।

(9) सामान्य मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों की सुरक्षा (Security of Normal Mentally Ill Persons):-

इस अधिनियम के माध्यम उन मानसिक मन्दता वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करना है जो कि समाज में रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में मानसिक विकृति सम्बन्धी चिकित्सालयों के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकेगा कि जो रोगी प्यार एवं आत्मीयता के साथ समाज में रहकर अपना

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings

Scanned with CamScanner

जीवनयापन कर सकते हैं उनको इन चिकित्सालयों में नहीं रखा गया (जायेगा) इसके साथ-साथ उनके सगे-सम्बन्धियों को भी निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जायेगा कि उनको इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना होगा।

(10) मानसिक बीमार अपराधियों की सहायता Help to mentally Ill criminals

जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति किसी कारण कोई अपराध कर देते हैं तो उनकी सहायता करके उनकी अपराधी प्रवृत्ति से दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश सरकार का यह दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्तियों को मानसिक विकृति सम्बन्धी चिकित्सालयों में रखकर उनकी गतिविधियों में सुधार लायें। इसके लिये उनकी वैध एवं कानूनी रूप से सहायता भी की जाय।

(11) मानववाद का समर्थन (Support to Humanism

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 द्वारा मानवीय उपागम का समर्थन किया गया। इसके अनुसार जो व्यक्ति मानसिक

रोगों से ग्रसित हैं तथा अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते उनके लिए देखभाल एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना मानवीय एवं नैतिक कर्तव्य है। इसलिए इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मानवता एवं नैतिकता का समर्थन करता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों एवं बालक-बालिकाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके मानसिक रोगों को दूर करते हुए उनको विकास एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ता है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की शैक्षिक उपयोगिता

Educational Utility of Mental Health Act, 1987 —

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का प्रमुख उद्देश्य उन बालक-बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना है जो मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। इन बालक-बालिकाओं की मानसिक विकृति को दूर करते हुए उनके लिए शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराती

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings

Scanned with CamScanner

भी इसकी प्रमुख उपयोगिता है।

मनोविकृति सम्बन्धी चिकित्सालयों में मानसिक रूप से मन्द बालक बालिकाओं का उपचार करके इनको पूर्ण स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है कि वे इनके प्रति आत्मीय एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें तो इनके मन में आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव विकसित होगा। इस प्रकार बालक-बालिकाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया जाता है तथा उनको विद्यालय में नामांकित किया जाता है।

विश्वविद्यालय में अनेक छात्र-छात्राएं ऐसे होते हैं जो कि मनोविकृति से ग्रसित होते हैं। शिक्षक द्वारा इन छात्र-छात्राओं के साथ मानसिक चिकित्सालय के चिकित्सक के परामर्श के आधार पर व्यवहार किया जाता है, जिससे इनके कार्य-व्यवहार को सर्वोत्तम बनाया जाता है। यदि छात्र-छात्राओं की मनोविकृति सम्बन्धी स्थिति गंभीर है तो उनको मानसिक विकृति सम्बन्धी चिकित्सालय में प्रवेश दिलाया जाता है। स्वस्थ होने पर इनको पुनः विद्यालय

Scanned with CamScanner

26 April 2019
Friday
Wk 17 • 116-249

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

APR '19

में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार एक शिक्षक इस अधिनियम का उपयोग करके मनोविकृति से ग्रसित छात्र-छात्राओं के शिक्षा के अधिकार की रक्षा कर सकता है।

इसलिए यह अधिनियम छात्र-छात्राओं, शिक्षक प्रधानाध्यापक एवं विद्यालयी व्यवस्था के समावेशी स्वरूप के लिए उपयोगी माना जाता है। इसलिए इस अधिनियम को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है।